2

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(भवन प्रकोष्ट)

मुख्य प्रशासनिक भवन पोस्ट आफिस-नौएडा नौएडा सेक्टर-6 जनपद-गाजियाबाद (उ०प्र०)

संख्या : नौएडा/बी०सी०/बी०पी०/८०४/58)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी नवीन ओखला विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश

सेवा में,

श्री/श्रीमती M/s Snip Tsadag Pvt. Ltd W. 576 Soctor. XI

प्रिय महोदय,

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि वास्तुविद्/अभियन्ता/नवशानवीस/समूह कि वास्तुविद्/अभियन्ता/नवशानवीस/समूह कि द्वार्य कि वास्तुविद्/अभियन्ता/नवशानवीस/समूह कि दिवर में भूखण्ड लाईसेन्स संख्या कि निर्माण/पुनर्निर्माण/पुनर्निर्माण/पुरिवर्तन/गिराये जाने के काम का इस प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है तथा घोषणा करता हूं कि सम्बन्धित लाईसेन्सघारी के तकनीकी कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत किये गये संरचना मजबूती प्रमाणपत्र तथा समापन प्रमाणपत्र के आधार पर अधिभोग संरचना मजबूती, अग्निसुरक्षा, अन्दर तथा आस पास की स्वच्छता और सफाई सम्बन्धी स्थितियों के सम्बन्ध में यह रहने तथा अधिभोग के योग्य है।

यह अधिभोग पत्र दिनांक... १२-. १८-२.८०। को प्राधिकरण द्वारा किये गये निरीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि आबंटी द्वारा भवन में निरीक्षण की तिथि के बाद कुछ फेर बदल किया/किये जाते हैं तो उसके विरुद्ध उ.प्र. औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अन्तर्गत कार्यवाही अपेक्षित होगी।

भवदीय,